<u>मध्यप्रदेश उच्च न्यायलय, जबलपुर</u>

<u>रिट याचिका क्रमांक 971/1995</u>

<u>याचिकाकर्ता</u>.................... अयूब खान, उम्र लगभग –52 वर्ष,

पिता– श्री जलील खान,

निवासी – 27 खोली, विकास नगर, बिलासपुर, (म.प्र.)

<u>बनाम</u>

<u>उत्तरवादीगण</u>............... 1. नगर निगम, बिलासपुर

द्वारा आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर (म.प्र.)

2. आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर (म.प्र.)

3. मध्यप्रदेश शासन,

द्वारा प्रमुख सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग,

वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र.– 971/95

1. अयूब खान, उम्र लगभग –52 वर्ष, पिता– जलील खान, निवासी – 27 खोली, विकास नगर, बिलासपुर, (म.प्र.)

----------याचिकाकर्ता

बनाम

1. नगर निगम, बिलासपुर द्वारा आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर (म.प्र.)
2. आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर (म.प्र.)
3. मध्यप्रदेश शासन, द्वारा प्रमुख सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)

-----------उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए – श्री एम.के. बेग, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्र. 1 एवं 2 के लिए – श्री ए. एस. कच्छवाहा, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्र. 3 के लिए – श्री पंकज श्रीवास्तव, पैनल अधिवक्ता

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री

मौखिक आदेश

13 फरवरी, 2006

माननीय श्री न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री द्वारा न्यायलय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

1. याचिकाकर्ता को दिनांक 14.08.1986 (अनुलग्नक पी/1) के आदेश के अनुसार शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (संक्षेप में 'पी टी आई') के पद पर दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता अपनी परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरांत भी सेवा में बने रहा।
2. दिनांक 21/30.04.1994 (अनुलग्नक पी/3) को याचिकाकर्ता को मध्यप्रदेश नगर पालिका कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्त नियम, 1968 (संक्षेप में 'नियम 1968') के नियम 49 एवं 52 सहपठित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 (संक्षेप में 'नियम 1966') के नियम 14 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमे यह पूछा गया कि आरोप पत्र में निहित आरोपों के संबंध में उसके विरुद्ध विभागीय जांच क्यों न प्रारंभ की जाए। उक्त

कारण बताओ नोटिस के साथ याचिकाकर्ता को आरोप पत्र, आरोपों की सूची, गवाहों की सूची तथा दस्तावेज प्रदान किए गए थे।

3. आरोप–पत्र में चार आरोप इस प्रभाव के लगाए गए, प्रथमत:, याचिकाकर्ता दिनांक 1.12.1991 से 10.12.1991 तक ड्यूटी पर था एवं दिनांक 11.12.1991 से 31.12.1991 तक अनुपस्थित रहा, और उसने जानबूझकर अपनी अनुपस्थित अवधि के लिए भी, उपस्थिति पंजी में अपनी उपस्थिति अंकित कर दी, जिससे उसने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 (संक्षेप में 'नियम 1965') के नियम 3(1) के प्रावधानों के अंतर्गत कदाचार किया। द्वितीयत:, याचिकाकर्ता के पास नियुक्ति के समय न तो आवश्यक मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण योग्यता थी और न ही शारीरिक प्रशिक्षण में डिप्लोमा था, जिसमें विज्ञान विषय सम्मिलित हो, ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता की नियुक्ति, नियम 1968 के नियम 11 के प्रावधानों के प्रतिकूल थी। तृतीयत:, जब याचिकाकर्ता देवकी नंदन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिलासपुर में कार्यरत था, तब उसने ₹20,000/– की राशि ठेकेदार श्री अशोक घाटगे को, विद्यालय विकास समिति के अध्यक्ष की अनुमति के बिना, भुगतान की, जबकि उसे उक्त राशि एपेक्स बैंक, बिलासपुर में जमा करना था। याचिकाकर्ता का यह आचरण भी नियम, 1965 के नियम 3(1) के अंतर्गत कदाचार की श्रेणी में आता है। तथा चतुर्थ, याचिकाकर्ता ने अपने पद का दुरुपयोग कर श्री रामावतार पांडेय, पिता श्री ओमप्रकाश पांडेय को विद्यालय में प्रवेश दिलाया जो नियम, 1965 के नियम 3(1) के प्रावधानों के अंतर्गत कदाचार की श्रेणी में आता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. तत्पश्चात् जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई। जांच अधिकारी ने विस्तृत जांच करने के पश्चात दिनांक 3 जून, 1994 को अपनी रिपोर्ट (अनुलग्नक पी/4) प्रस्तुत की, जिसमें आरोप क्रमांक 1, 2 तथा 3 को साबित और आरोप क्रमांक 4 को नासाबित माना गया, क्योंकि आरोप क्रमांक 4 के संबंध में विस्तृत जांच जरुरी थी।

5. याचिकाकर्ता को दिनांक 03.6.1994 को कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक पी/5), जांच प्रतिवेदन सहित, इस आशय से प्रेषित किया गया कि उसे 'सेवा से पदच्युत' का दंड क्यों न दिया जाए। याचिकाकर्ता द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 03.6.1994 का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

6. प्रशासक ने अपने आदेश दिनांक 23.7.1994 (अनुलग्नक पी/6) द्वारा जांच प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए याचिकाकर्ता पर 'सेवा से पदच्युत' का दंड तत्काल प्रभाव से अधिरोपित किया। याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश के विरुद्ध मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 60(7) के अंतर्गत एक वैधानिक अपील (अनुलग्नक पी/7) राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत की।

7. राज्य शासन ने अपने आदेश दिनांक 14 दिसंबर, 1994 (अनुलग्नक पी/8) द्वारा उक्त अपील यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता को साक्षियों से प्रतिपरीक्षण करने का अवसर दिया गया था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। अपीलीय प्राधिकारी ने जांच अधिकारी तथा अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए अपील को ख़ारिज कर दिया।

8. याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यह याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें दिनांक 23/25.7.94 (अनुलग्नक पी/6) तथा दिनांक 14.12.94 (अनुलग्नक पी/8) को उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, इस आधार पर कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया क्योंकि गवाहों की परीक्षा उसकी अनुपस्थिति में की गई तथा याचिकाकर्ता को गवाहों से प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई। याचिकाकर्ता ने अपील ज्ञापन में यह आधार पहली बार उठाया कि उसे गवाहों से प्रतिपरीक्षण करने का अवसर नहीं प्रदान किया गया था। याचिकाकर्ता ने यह आधार पूर्व में अधीनस्थ प्राधिकारियों के समक्ष नहीं उठाया कि उसे गवाहों का परीक्षण हेतु अवसर नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस के साथ उसे प्रदान किये गए जाँच रिपोर्ट का जवाब प्रस्तुत नहीं किया है।

9. श्री ए. एस. कछवाहा, उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 के अधिवक्ता तथा श्री पंकज श्रीवास्तव, उत्तरवादी क्रमांक 3 के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि इसके विपरीत, याचिकाकर्ता को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया था और यह कथन कि साक्षियों का परीक्षण उसके समक्ष नहीं किया गया तथा उसे साक्षियों से प्रतिपरीक्षण करने का अवसर नहीं दिया गया, पहले ही अपीलीय प्राधिकारी द्वारा परीक्षण किया जा चुका है और अपीलीय प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि याचिकाकर्ता को साक्षियों से प्रतिपरीक्षण करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया था, किंतु याचिकाकर्ता ने स्वयं साक्षियों से प्रतिपरीक्षण नहीं किया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि जांच प्रतिवेदन को विभागीय प्राधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है, इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए साक्ष्यों की पुनः सराहना कर भिन्न निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना चाहिए, विशेषकर उक्त निष्कर्ष भी संभावित निष्कर्षों में से एक हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु शासन व अन्य विरुद्ध एस. वेल राज (1997) 2 S.C.C. 708 में यह माना है कि "जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष तथा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा की गई पुष्टि उन साक्ष्यों पर आधारित थी जो जांच के दौरान प्रस्तुत की गई थी, और यह भी तर्क नहीं दिया गया की उक्त निष्कर्ष विकृत थे। इसलिए न्यायाधिकरण के लिए विपरीत निष्कर्ष दर्ज करना तथा यह मानना उचित नहीं था कि उत्तरवादी के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुआ था।"

11. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद तथा याचिका के साथ संलग्न अभिलेखों का अध्ययन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा किए गए कथन स्वीकार नहीं हैं क्योंकि अभिलेख स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता को जांच में पूर्ण अवसर दिया गया था और इसके पश्चात अनुशासनात्मक प्राधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष तथा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निष्कर्ष ठोस साक्ष्यों पर आधारित हैं और न तो कोई अनुचितता का दावा किया गया है या पाया गया है, इसलिए यह किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप कि मांग नहीं करता है।

12. उपर्युक्त कारणों के आधार पर यह याचिका ख़ारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/–

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By — Adv Tarandeep Singh Gumber

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur